न्यायालय जिला कलक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी : देवेन्द्र कुमार

आई०ए०एस०

निगरानी याचिका सं0 11/2019

अमरसिंह पुत्र श्योरतनसिंह जाति राजपूत निवासी नांगल कोलरा तह० महवा जिला दौसा

...निगरानीकर्ता

बनाम

1. दशरथसिंह पुत्र गिरधरसिंह जाति राजपूत निवासी नांगल कौलरा तह० महवा जिला दौसा
2. ग्राम पंचायत हलदेना पंचायत समिति महवा जिला दौसा

...गैर निगरानीकर्तागण

निगरानी विरुद्ध आदेश प्रशासन पंचायत समिति महवा दिनांक 18–8–15 व पट्टा ग्राम पंचायत हलदेना तह० महवा दिनांक 19–4–97 पट्टा संख्या 3 मिसल न० 4

उपस्थित : 1. श्री अजय तिवाडी, अधिवक्ता निगरानीकार।
2. श्री दिनेश शांडिल्य, अधिवक्ता गैर निगरानीकार सं0 1

–:: निर्णय ::–

दिनांक: 25.03.2026

1. संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि निगरानीकर्ता द्वारा आदेश प्रशासन पंचायत समिति महवा दिनांक 18–8–15 व पट्टा ग्राम पंचायत हलदेना तह० महवा दिनांक 19–4–97 पट्टा संख्या 3 मिसल न० 4 को निरस्त करने हेतु यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।
2. निगरानी याचिका दर्ज रजिस्टर की गई। गैर निगरानीकारान की तलबी की गई। पंचायत समिति महवा से मूल अभिलेख तलब किया गया।
3. सर्वप्रथम दफा 05 मियाद अधिनियम पर सुनवाई की गई। अधिवक्ता निगरानीकार ने प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि जैर निगरानी की निगरानीकर्ता को कोई जानकारी नहीं थी। अब दिनांक 24.10.2019 को अप्रार्थी नं0 1 ने प्रार्थी निगरानीकर्ता को बताया कि तुम्हारे द्वारा जो अपील पंचायत समिति में पेश की गई थी, वह दिनांक 19.8.2015 को ही खारिज कर दी और मेरा पट्टा बहाल कर दिया गया है। इस जानकारी पर निगरानीकर्ता ने दिनांक 25.10.2019 को नकल का प्रार्थना पत्र पेश किया व रसीद के जरिये फीस जमा कराई। तत्पश्चात यह निगरानी पेश की जा रही है। निगरानी पेश करने में हुई देरी को क्षमा कर निगरानी अंदर मियाद शुमार फरमाई जावे। अधिवक्ता गैर निगरानीकार सं0 1 ने बहस में कथन किया कि निगरानीकार को उक्त निर्णय की शुरू से ही जानकारी रही है। निगरानी मियाद के बिन्दु पर ही खारिज फरमाई जावे। प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र का अवलोकन किया गया। निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी जानकारी से अंदर मियाद पेश की गई है। अतः डिले कन्डोन किया जाकर निगरानी की सुनवाई किया जाना न्यायोचित है। अतः दफा 5. कानून मियाद स्वीकार किया जाता है।
4. तत्पश्चात मूल निगरानी पर सुनवाई की गई। अधिवक्ता निगरानीकार ने निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि निगरानीकर्ता द्वारा [illegible] सं0 1 को पट्टा दि० 19–4–97 के विरुद्ध अपील पंचायत समिति महवा मे दि० 5.6.20[illegible] प्रस्तुत की गई । आदि पंचायत समिति महवा ने निगरानीकर्त्ता की गैर मौजूदगी में [illegible] तथ्यों पर विचार किये ही अपील मियाद बाहर मानते हुए खारिज करदी जबकि प्रशासन पंचायत समिति महवा निगरानी कर्ता को पूर्ण सुनवाई व सबूत का मौका देकर ही निर्णय पारित करना चाहिए अवैद्य आदेश के विरुद्ध अपील करने की कोई मियाद भी नही है। निगरानीकर्ता को पंचायत समिति महवा द्वारा अपील करने के बाद तारीख पेशीया दी जाती रही व निर्णय की कोई जानकारी निगरानीकर्ता को नही देते हुए और अब दि० 24–10–19 को प्रार्थी स० 1 ने निगरानीकर्ता को बताया कि तुम्हारे द्वारा जो अपील पंचायत समिति में पेश की गई थी वह 19–8–2015 को ही खारिज हो गई व मेरा पटटा बहाल रख दिया गया है। प्रशासन पंचायत समिति महवा का आदेश व ग्राम पंचायत

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2026.04.01 11:43:35 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जिला कलेक्टर, दौसा

हलदेना का पट्टा व आदेश खिलाफ कानून नियम उपनियम व पत्रावली तथ्यो के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है। निगरानीकर्ता ने अपनी अपील में यह तथ्य अक्ति किया है कि पट्टा स० 3 दि० 19–4–97 को जारी किया गया है वह पूर्णतः तथ्यो व ग्राम पंचायत हलदेना की दूषित कार्यवाही के आधार पर जारी किया गया है। ग्राम पंचायत हलदेना ने पंचायती राज नियमों के विरुद्ध पट्टा जारी किया है न तो कोई उजरदारी नोटिस जारी किये और नहीं कानूनी प्रक्रिया का पालन ही किया। ग्राम पंचायत हलदेना मे अप्रार्थी 1 द्वारा पटटा लेने का जो प्रार्थना पत्र पेश किया है उसमें तारीख अंक्ति नही है ओर नहीं प्रार्थना पत्र पर सरपंच व सचिव के कोई हस्ताक्षर ही है। तथा मौका रिपोर्ट पर पर भी कोई तारीख अंकित नहीं है कि किस तारीखको पंचों द्वारा मौका देखा गया है। इन तमाम तथ्यों से स्पष्ट है कि सारी कार्यवाही फर्जी की जाकर पट्टा जारी दिया गया है परन्तु पंचायत समिति द्वारा तमाम तथ्यों पर कोई विचार ही नहीं किया इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। ग्राम पंचायत की कार्यवाही व आदेशिका दिनांक 3–9–96 व दिनांक 18–2–96 पर किसी भी सरपंच व सचिव के हस्ताक्षर ही है न सील है। पंचायत समिति ने तमाम तथ्यों पर विचार न कर निगरानीकर्ता की अपील को केवल मियाद के बिन्दू पर खारिज की है कानूनन किसी भी अवैध निर्णय के विरूद्ध अपील पेश करने की मियाद कानूनन है भी नही पंचायत समिति स्वयम भी यदि कोई अवैध निर्णय है तो उसको स्वयं भी निरस्त कर सकती है। विवादित भूमि का जो पट्टा दिया गया है वह भूमि पैतृक पूर्वजो की कब्जा शुदा भूमि है जिसका पट्टा अकेले दशरथसिंह को नहीं दिया जा सकता है। प्रशासन समिति पंचायत समिति महवा ने अपील खारिज करने से पूर्व अपना पक्ष पेश करना का कोई अवसर ही नही दिया तथा निगरानीकर्ता की मौजूदगी मे कोई आदेश ही पारित नही किया। और नही कोई सुनवाई का अवसर दिया। इसलिए भी अधिनस्थ पंचायत समिति का आदेश प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अतः निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार फरमाकर निगरानाधीन निर्णय व आदेश प्रशासन पंचायत समिति महवा दिनांक 19–8–15 व पट्टा ग्राम पंचायत हलदेना तहसील महवा दिनांक 19–4–97 पट्टा सं0 3 मिसल नं0 4 खारिज फरमाया जावे।

5. अधिवक्ता गैर निगरानीकार सं0 1 ने बहस में कथन किया कि गैर निगरानीकार सं0 1 का वर्ष 1977 से मकान बना हुआ है। निगरानीकार द्वारा उक्त निर्णय को 18 साल बाद 19.8.2015 को चुनौती दी गई है। कानूनन किसी भी आदेश को चुनौती देने की समय सीमा 30 दिवस निर्धारित है। साथ ही पंचायत समिति महवा के आदेश को भी 4 साल के विलंब से इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई है। निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज फरमाई जावे।
6. हमने उपस्थित अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।
7. इस न्यायालय द्वारा निगरानी के आधारों, पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं प्रस्तुत तर्कों का सम्यक परीक्षण किया गया। पंचायत समिति महवा द्वारा प्रथम अपील इस तर्क के साथ खारिज की गई थी कि उक्त प्रकरण जिसमें मियाद 30 दिन का होता है, उसके विपरीत वह अपील 15 वर्ष से अधिक बाद दायर प्रस्तुत की गई थी एवं दायर करने का कोई ठोस कारण भी प्रस्तुत नहीं किया साथ ही अपीलकर्ता यह बताने में असफल रहे कि उनके हित किस प्रकार से प्रभावित हो रहे है। जहॉ तक प्रश्न हित प्रभावित होने का है तो इस संबंध में प्रार्थी को हित सिद्ध करना अथवा न करना आवश्ययक नहीं है एवं जहॉ तक मियाद के बिन्दु की बात है तो यह सही है कि प्रार्थी द्वारा यह प्रकरण अत्यधिक दिनों बाद प्रस्तुत किया गया है जिसके संबंध में उनके द्वारा कोई ठोस कारण प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को यथावत रखा जाकर इस निगरानी को खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख/पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भण्डार हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2026.04.01 11:43:35 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

जिला कलेक्टर दौसा

निर्णय आज दिनांक 25 मार्च, 2026 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील सक्षम न्यायालय में नियत समयावधि के भीतर की जा सकेगी।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2026.04.01 11:43:35 IST
Reason: SelfAttested